भारत सरकार
रक्षा मंत्रालय
रक्षा विभाग
लोक सभा
अतारांकित प्रश्न संख्या 1839
03 जुलाई, 2019 को उत्तर के लिए

नई रक्षा खरीद नीति

1839. श्री विनायक भाऊराव राऊत:
श्री प्रीतम गोपीनाथराव मुंडेः
श्री श्रीरंग आप्पा बारणेः
डॉ. श्रीकांत एकनाथ शिंदेः
कुँवर पुष्पेन्द्र सिंह चन्देलः

क्या रक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार नई खरीद नीति को अपनाने पर विचार कर रही है जो रक्षा उपकरणों हेतु स्वदेशी सामग्री के स्तर को परिभाषित करेगी तथा अनुबंधों में स्थानीय विक्रेताओं को उच्च प्राथमिकता प्रदान करेगी;

(ख) यदि हां, तो उक्त नीति की मुख्य विशेषताएं क्या हैं;

(ग) क्या सरकार ने अन्य रक्षा उपकरणों को चिन्हित किया है जिन पर उक्त नीति को लागू किया जा सकता है तथा यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(घ) क्या सरकार ने नई खरीद नीति को अन्तिम रूप प्रदान करने से पूर्व विभिन्न हितधारकों के साथ परामर्श किया है तथा यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ड.) सरकार द्वारा भारतीय विक्रेताओं को प्राथमिकता प्रदान करने के लिए क्या अन्य नीतिगत निर्णय लिए गए हैं?

उत्तर
रक्षा मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री श्रीपाद नाईक)

(क) से (ड.): 'खरीदो (भारतीय-स्वदेशी रूप से अभिकल्पित, विकसित एवं विनिर्मित (आईडीडीएम)' प्रवर्ग के अन्तर्गत विद्यमान रक्षा अधिप्राप्ति प्रक्रिया (डीपीपी-2016) निजी क्षेत्रों

के जरिए स्वदेशी रक्षा विनिर्माण की क्षमताओं को बढ़ावा देती है। मई, 2017 में डीपीपी-2016 में सामरिक भागीदारी मॉडल को भी शामिल किया गया है।

डीपीपी-2016 की 'मेक' प्रक्रिया (मेक-I एवं मेक-II) भारतीय उद्योग की वर्धित भागीदारी और आत्मनिर्भरता को बढ़ावा देती है और स्वदेशी उत्पादन के जरिए तथा आयात प्रतिस्थापन को बढ़ावा देकर एमएसएमई को विस्तार मुहैया कराती है।

सशस्त्र बलों द्वारा अपनाई जाने वाली प्रौद्योगिकियों को प्रौद्योगिकी संदर्श एवं क्षमता रोडमैप (टीपीसीआर)-2018 के जरिए उदयोगों के साथ साझा किया जाता है।

****